

## सूचना एवं संचार तकनीकी का ग्रामीण विकास में योगदान

Harpal Singh

Assistant Professor of Political Science

Government College for Girls Unhani, Mahendragarh (HR)

### सारांश

एक युग था, जब संचार के सीमित साधन ही उपलब्ध थे। आज जनसंचार के आधुनिक साधनों ने विश्व की सीमाएँ लाँघकर अन्तरिक्ष में प्रवेश कर लिया है। लेकिन प्रकृति का यह कैसा विरोधाभास है कि एक ओर तो मानव अपने कल्याण की दिशा में कर्मरत हैं वहीं दूसरी ओर उसकी विध्वंसकारी प्रवृत्तियाँ उसे स्वार्थ की पूर्ति में लगा देती हैं। संचार के वैज्ञानिक साधनों ने जहाँ विकास के मार्गों को प्रशस्त किया है इक्कीसवीं सदी सूचना एवं संचार की सदी बनकर उभरी है। उसने सूचना प्राप्ति एवं संचार साधनों के अनेक रूप - प्रतिरूप हमारे सामने उपलब्ध करा दिए हैं। वहीं साइबर अपराधों को प्रोत्साहन दिया है। वर्तमान में, मानव ने प्रौद्योगिकी के नए आयाम खोज निकाले हैं और स्थिति यह है कि उद्योग हो अथवा कोई भी महत्वपूर्ण योजना, चिकित्सा का क्षेत्र हो अथवा मनोरंजन की दुनिया, जनसंचार के अभाव में उसके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ग्रामीण विकास विस्तृत शब्द 'विकास' का ही एक भाग है। विकास सम्पूर्ण विश्व के व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों एवं राष्ट्रों द्वारा सार्वभौमिक उद्देश्यों को संजोये रखने का तरीका है। विकास प्राकृतिक रूप में भी पृथ्वी पर उपस्थित प्राणी मात्र को नैसर्गिक रूप से बने रहने एवं विकास के लिए प्रेरित करता है।

**शब्द संकेत :** सूचना, संचार, संदेश, प्रेषक, प्लेटफार्म, इंटरनेट, साइबर अपराध

### प्रस्तावना

### सूचना एवं संचार तकनीकी

सदैव से ही प्रकृति के संकेत हमें सूचना, संदेश अथवा समाचार का आभास देते आए हैं। उन्हें जनसंचार का माध्यम माना गया है। उदाहरणार्थ गौरैया नामक चिड़िया अगर पानी में क्रीडा करते देखी जाती है तो यह बरसात आने का संकेत माना जाता है। दूर - दराज तक जहाँ जनसंचार माध्यमों का जाल बिछ चुका है। आज भी ऐसी मान्यताएं घर किए हुए है। चीन और गुजरात में हाल ही में आए भूकम्प की पूर्व सूचना जानवरों के विचित्र व्यवहार से सम्प्रेषित हुई थी। विशेषज्ञों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि चमगादड़ को अपने शरीर में विद्युत तरंगों की अनुभूति होती है। शिक्षा एवं विज्ञान के विकास से मानव ने प्रकृति में व्याप्त विद्युत तरंगों एवं अन्य स्रोतों की अपार शक्ति को खोजकर संचार माध्यमों की जादू नगरी का निर्माण कर दिया है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा और विज्ञान हर क्षेत्र में जनसंचार माध्यम का प्रबंधन एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। उसने हमारी जीवन दिशा ही बदलकर रख दी है। संचार माध्यमों की विस्तृत व्याख्या, प्रबंधन एवं उपयोग के अभाव में आज मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। सूचना का तात्पर्य होता है जानकारी, जब किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय संगठन या समूह को आवश्यक जानकारी या अन्य जानकारियाँ प्राप्त होती है वही सूचना की श्रेणी में आते हैं। संचार प्रेषक का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है जिसमें जानकारी पहुँचाने के लिए ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है जिससे संप्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों समझ सके, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी विभिन्न माध्यमों के द्वारा सूचना का आदान - प्रदान कर सकते हैं। मनुष्य के अस्तित्व की निरन्तरता के लिए संचार या सम्प्रेषण एक प्रभावी माध्यम है जो किसी भी समूह अथवा समाज के निर्माण हेतु एक प्रकार्यात्मक पूर्वावश्यकता है। संचार कुछ निश्चित प्रतीकों एवं चित्रों के माध्यम से दो या अधिक सामाजिक इकाईयों के मध्य विचार, सूचना, ज्ञान, अभिवृत्ति एवं भावनाओं के विनिमय की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम दूसरों को समझते है और बदले में दूसरों द्वारा समझे जाने का प्रयास भी करते हैं। संचार से व्यक्ति सूचनाओं

को दूसरों तक पहुँचाता ही नहीं है अपितु सूचनाओं को ग्रहण भी करता है। संचार समूह निर्माण की एक आवश्यक दशा है, इसके बिना समूह का अस्तित्व सम्भव ही नहीं है। संचार किसी भी सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक तत्वों की प्रकृति पर आधारित है। संचार उस समय होता है जब एक स्थान और समय की घटनाएं दूसरे स्थान और समय की घटनाओं से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होती है। अतः संचार किसी वस्तु के सम्बन्ध में समान तथा सहभागी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतीकों के उपयोग पर निर्भर होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संचार मानव जीवन को अर्थपूर्ण व उद्देश्यपूर्ण बनाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधुनिकतम प्रगति ने जहाँ विकास के नए द्वार खोले हैं वहीं भारत जैसे विकासशील देश में अनेकानेक रीति - रिवाज, परम्पराएँ, अंधविश्वास और पाखण्ड बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। ऐसे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए सामाजिक चेतना का विकास हुआ। इसी विकास में संचार की विभिन्न तकनीकियों का प्रयोग किया जा रहा है।

### **भारत में ग्रामीण विकास का स्वरूप**

सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के चलते आज ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है। आज यहाँ सड़के नहीं थी वहाँ पक्की सड़के हैं, जहाँ लैण्डलाइन फोन नहीं थे वहाँ आज मोबाइल सेवाएं भी पहुँच गई हैं। सरकार के प्रयासों से ही ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर दिन - प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकार वर्तमान में गांवों के विकास के प्रति बराबर ध्यान दे रही है। साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि विभिन्न राज्यों और सभी क्षेत्रों में गरीबी निवारण कार्यक्रमों और रोजगार सृजन योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर उनमें आ रही कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। संसाधनों का आवंटन इस प्रकार किया जा रहा है कि सही समय पर सही तरीके से सही लोगों और सही क्षेत्रों तक पहुँचाये जा सके। भारत गांवों का देश है और इसकी अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। अतः भारत के विकास के लिए आवश्यक है ग्रामीण विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में कृषि, उद्योग, यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारी अर्थव्यवस्था को हर व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए भारत

सरकार ने बड़ी - बड़ी योजनाएं लागू की हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही भारत सरकार ग्रामीण विकास के लिये कटिबद्ध रही है। पंचवर्षीय योजनाओं में, वार्षिक बजट में तथा अलग से लागू की गई योजनाओं में ग्रामीण विकास हमेशा से सरकार का प्राथमिक उद्देश्य रहा है। वर्तमान में भी ' नीति आयोग ' के माध्यम से जो भी विकासवादी नीतियाँ सृजित एवं क्रियान्वित की जा रही हैं, वे सभी अधिकांश रूप से ग्रामीण विकास पर केन्द्रित हैं। सरकार की ग्रामीण विकास या निचले तबके की जागरूकता इसी बात से झलकती है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक ही समावेशी विकास रख दिया गया और उस पर पहल जारी है। भारत सरकार ने ग्रामीण गरीबों के लिए अनेकों कार्यक्रम शुरू किए हैं जो ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक मार्ग का काम कर रहे हैं। प्रारम्भिक योजनाओं में ही सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों को विकास के लाभ उपलब्ध कराने के लिए अनेक रोजगारपरक और गरीबी निवारण की विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों को संचालित करने के साथ - साथ वहाँ मौलिक सुविधाओं के लिए विशेष प्रयास किए जाते रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही विकास की दर को वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं अथवा अपेक्षाओं के अनुरूप कर पाने में हम पूरी तरह सफल नहीं हो सके हो लेकिन वास्तविकता यह है कि वहाँ के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के जरिए वहाँ के स्कूलों, सड़को, बिजली, पानी, मकान जैसी मूलभूत आवश्यक सुविधाओं को काफी मात्रा में गांवों तक पहुँचाने में सफल हो सके है। भारत जैसे विकासशील देश के सामने आर्थिक विकास में मुख्य बाधा गरीबी और बेरोजगारी है। ये तो प्रत्यक्ष कारण है लेकिन वास्तव में इनके पीछे हमारी मूलभूत सुविधाओं की कमी ही है। लेकिन देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और योजनाओं के संचालन के माध्यम से सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में तीव्र और स्थायी विकास तथा सामाजिक - आर्थिक परिवर्तन लाने के प्रयास किए गए हैं।

ग्रामीण विकास नीति को आजकल निम्नलिखित से संबंधित कई चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता है:

- स्थानीय समाजों के संसाधनों और इतिहास, परंपरा, मूल्यों, आदि दोनों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों का विभेदीकरण, जिसका प्रभावी दोहन एक स्थान-आधारित बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण की मांग करता है, जो सतत विकास के सामान्य नियोजन लक्ष्य में आता है।
- कृषि आधारित ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से एक बहु-क्षेत्रीय विकास परिप्रेक्ष्य में बदलाव जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों की पूरी श्रृंखला के सतत शोषण को आगे बढ़ाएगा (जैसे छोटे पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण पर्यटन के नए वैकल्पिक रूप, गैर-कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था), जो एक क्रॉस-सेक्टरल दृष्टिकोण की मांग करती है।
- पूरे क्षेत्र के लिए तालमेल विकसित करने और उनसे लाभ उठाने के लिए क्षेत्रों के बीच संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- विचारों के आदान-प्रदान के लिए उचित संचार प्लेटफॉर्म स्थापित करके, भविष्य के ग्रामीण विकास पथों पर व्यापक सहमति की मांग करते हुए, समाज-सशक्त दृष्टिकोण के आधार पर सभी शामिल अभिनेताओं (नागरिकों, व्यवसायों, प्रशासन, संस्थानों आदि) को जुटाने की आवश्यकता है। भागीदारी पर।
- सूचना और ज्ञान स्रोतों तक पहुंच प्राप्त करने की आवश्यकता जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान क्षमता को बढ़ाएगी, जिसके लिए एक समावेशी सूचना और ज्ञान समाज दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

- समाज द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह की सुख-सुविधाओं से जुड़ा बढ़ता मूल्य , जिनमें से कुछ न केवल स्थानीय रूप से उपभोग की जाती हैं , बल्कि समग्र रूप से समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण क्षेत्र निश्चित रूप से गैर-कृषि संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला का निपटान कर रहे हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण पुरावशेष , ऐतिहासिक स्थल और अन्य मनोरंजक सुविधाएं , जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लाभ के लिए ठीक से प्रबंधित और विपणन की जा सकने वाली सुविधाओं के रूप में तेजी से सराहा जा रहा है। इस संबंध में , नीति निर्माताओं को कृषि की बहु-कार्यात्मकता के संकीर्ण फोकस से आगे बढ़ने और एक नई ग्रामीण नीति प्रतिमान अपनाने की आवश्यकता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी सकारात्मक और नकारात्मक बाहरीताओं के लिए सुविधाओं की पूरी श्रृंखला की पहचान और मूल्यांकन करेगा।
- दुनिया भर में कृषि नीति में सुधार की दिशा में बढ़ता दबाव मुख्य रूप से निम्न से उत्पन्न होता है: व्यापार पर कृषि उत्पादों की सब्सिडी का विकृत प्रभाव ; और विभिन्न राष्ट्रों के बजट पर आर्थिक सहायता के प्रावधान द्वारा डाला गया आर्थिक बोझ। इस दबाव ने धीरे-धीरे कृषि नीति के जोर को प्रोत्साहन-उन्मुख से एक निवेश बाजार-उन्मुख कृषि नीति में स्थानांतरित कर दिया है।
- अंतिम प्रमुख कारक क्षेत्रीय नीति में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति से संबंधित है। इस तरह की प्रवृत्ति को बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय नीति के सिद्धांत और अभ्यास दोनों द्वारा समर्थित किया गया है और यह पता लगाया गया है कि वित्तीय पुनर्वितरण पर आधारित पारंपरिक दृष्टिकोण , ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय विषमताओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सफल नहीं हुए। इस संबंध में , वर्तमान कृषि नीति की प्रभावशीलता का तर्क दिया जाता है , क्योंकि यह ग्रामीण आबादी के एक छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानों के बजाय किसानों पर जोर देती है ; और उत्पादन की सब्सिडी (जैसे सीएपी)

जो सबसे अधिक उत्पादक , सुलभ और भौगोलिक रूप से चिकनी कृषि क्षेत्रों का पक्ष लेकर क्षेत्रीय सामंजस्य की गड़बड़ी की ओर ले जाती है। इसके आधार पर , अधिक विकेन्द्रीकृत ग्रामीण नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो स्थानीय अवसरों की पहचान करे और उन्हें लक्षित करे , जो स्थानीय संपत्ति जुटाने में सक्षम हैं। इस तरह के दृष्टिकोण में प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है: एक समावेशी निर्णय लेने का दृष्टिकोण , स्थानीय स्तर पर शामिल सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना; अंतर्जात संपत्तियों और ज्ञान का बेहतर दोहन ; और एक नया सामूहिक/बातचीत शासन दृष्टिकोण, अर्थात् एक क्रॉस-कटिंग और बहु-स्तरीय नीति दृष्टिकोण जो सरकारी एजेंसियों के बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करता है (एजेंसियों के बीच और भीतर क्षैतिज और साथ ही सरकार के विभिन्न स्तरों पर लंबवत), जहां स्थानीय सरकार का प्रभुत्व है भूमिका निभानी है।

### **सफल प्रजातंत्र में सूचना एवं संचार तकनीकी का महत्व**

लोकसंपर्क का अर्थ बड़ा ही व्यापक और प्रभावकारी है। लोकतंत्र के आधार पर स्थापित लोकसत्ता के परिचालन के लिए ही नहीं बल्कि राजतंत्र और अधिनायकतंत्र के सफल संचालन के लिए भी लोकसंपर्क आवश्यक माना जाता है। कृषि, उद्योग, व्यापार, जनसेवा और लोकरूचि के विस्तार तथा परिष्कार के लिए लोकसंपर्क की आवश्यकता है। लोकसंपर्क का शाब्दिक अर्थ है ' जनसाधारण से अधिकाधिक निकट संबंध '। वर्तमान युग में लोकसंपर्क के सर्वोत्तम माध्यम का कार्य समाचारपत्र करते हैं। इसके बाद रेडियो, टेलीविजन, चलचित्रों और इंटरनेट आदि का स्थान है। नाट्य, संगीत, भजन कीर्तन, धर्मोपदेश आदि के द्वारा भी लोकसंपर्क का कार्य होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जुलूस, सभा, संगठन, प्रदर्शन आदि की जो सुविधाएँ हैं उनका उपयोग भी राजनीतिक दलों की ओर से लोकसंपर्क के लिए किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भी लोकसत्ता और

लोकमत के मध्य लोकसंपर्क की महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। वर्तमान समय में प्रजातंत्र को अत्यधिक सफल बनाने के लिए एवं जनता को अपनी घोषणाओं एवं पद्धतियों की जानकारी प्रदान करने के लिए समस्त राजनीतिक दल सूचना एवं संचार तंत्रों का उपयोग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि अपने चुनावी कार्यालयों को मीडिया हब बनाये हुए हैं इसके अंतर्गत चुनावी क्षेत्र की समस्त जानकारियों एवं अपने कार्यकर्ताओं को उससे जुड़े हुए जैसे मोबाईल एसएमएस के द्वारा जनता को विभिन्न त्योहारों की बधाईयां देना तथा अपने एजेण्डों की जानकारी देना साथ ही साथ जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं से लेकर ग्रामीण कार्यकर्ताओं को मोबाईल, लैपटॉप इत्यादि उपलब्ध करये जाते हैं, जिससे निर्वायन कार्यालय के मतदाताओं की नामावाली तथा विभिन्न समाचार पत्रों में अपने एजेण्डों की जानकारी तथा समय पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग और मोबाईल से भाषण इत्यादि सम्मिलित है।

## निष्कर्ष

भारत की अधिकांशतः आबादी गाँवों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों के हालत ही हमारे देश का वास्तविक प्रतिबिम्ब है। भारतवर्ष उस गति से तरक्की नहीं कर पा रहा है जिस गति से उसे करनी चाहिए। 125 करोड़ लोगों के देश में लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और यह आबादी अधिकांश रूप से गाँवों में ही है। इसके अलवा बेरोजगारी, भुखमरी, महिलाओं पर अत्याचार, जमीनों के झगडे, कम उत्पादन व उत्पादकता और ठण्डे पडे शेयर बजार इस तथ्य के द्योतक है कि भारत का आर्थिक - राजनीतिक - सामाजिक विकास अभी बहुत दूर है। सूचना तकनीक ग्रामीणों तक, जिस जगह चाहे, जब चाहें और जिस तरीके से चाहें, सूचना पहुँचाने का कार्य करती है। आई . टी . को सूचना तकनीक के नाम से जाना जाता है। इन दो शब्दों ने पूरे विश्व को एक तूफान की तरह अपनी चपेट में ले लिया है। आज के परिदृश्य में इन दो शब्दों का महत्व आधुनिकता एवं विकास के शब्दकोश को सभी



शब्दों से कही बढ़कर हैं, जो केवल कम्प्यूटर तक सीमित न रहते हुए सूचना तकनीक अपने अन्दर एक वृहद रूप समेटे हुए है। इन्टरनेट, फैक्स, मोबाइल, ई - व्यापार, ई - गवर्नेन्स, ई - पेमेन्ट, ई - पंचायत, अभिषरण तकनीकी, साफ्टवेयर, बेतार इण्टरनेट, एम - व्यापार और डी - व्यापार, आदि सब सूचना तकनीक के विभिन्न प्रतिरूप हैं। इन आधुनिक संचार तकनीकों ने आम आदमी के लिए सूचना प्राप्ति के असंख्य द्वारा खोल दिये हैं। वर्तमान युग में लोकसंपर्क के सर्वोत्तम माध्यम का कार्य समाचारपत्र करते हैं। इसके बाद रेडियो, टेलीविजन, चलचित्रों और इंटरनेट आदि का स्थान है। नाट्य, संगीत, भजन कीर्तन, धर्मोपदेश आदि के द्वारा भी लोकसंपर्क का कार्य होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जुलूस, सभा, संगठन, प्रदर्शन आदि की जो सुविधाएँ हैं उनका उपयोग भी राजनीतिक दलों की ओर से लोकसंपर्क के लिए किया जाता है।

### संदर्भ ग्रंथ सूची

1. विज्ञान संचार, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली , 2001
2. यादव, रामजी, ग्रामीण विकास, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2003
3. कटारिया, सुरेन्द्र एवं तैद गुडजन, भारत में ग्रामीण विकास रणनीतियाँ एवं चुनौतियाँ, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर, 2008
4. दयाल, मनोज, विकास संचार अर्थ अवधारणा एवं प्रक्रिया पाठ, प्रकाशक वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, 2008
5. कटारिया, सुरेन्द्र, भारत में सामाजिक नीति, आर. बी . एम . ए . पब्लिशर्स, जयपुर, 2009



6. भानावत, डॉ. संजीव, विकास एवं विज्ञान संचार, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2010
7. पटैरिया, मनोज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2010
8. सिंह, कटार, ग्रामीण विकास सिद्धान्त, नीतियाँ एवं प्रबन्ध, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2011
9. सिंह, कटार, ग्रामीण विकास सिद्धान्त नीतियाँ एवं प्रबन्ध, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2011